न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/82

1. गजानन्द आत्मज श्री नारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. फूलचन्द आत्मज श्री नारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. महावीर आत्मज श्री नारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. छोटू आत्मज श्री नारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. त्रिलोक आत्मज श्री बाल्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. चतुर्भुज आत्मज श्री बाल्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पुत्र स्व0 श्री विजयलाल आयु 58 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. टीकमचन्द आत्मज श्री स्व0 श्री विजयलाल आयु 58 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2021/97

1. गजानन्द आत्मज श्री नारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. फूलचन्द आत्मज श्री नारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. महावीर आत्मज श्री नारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

4. छोटू आत्मज श्री नारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. त्रिलोक आत्मज श्री बाल्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. चतुर्भुज आत्मज श्री बाल्या जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पुत्र स्व0 श्री विजयलाल आयु 58 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. टीकमचन्द आत्मज श्री स्व0 श्री विजयलाल आयु 58 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्राम सूतडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राकेश सुवालका, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय दिनांकः 30.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्रारम्भिक डिक्री एवं दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सूतडा तहसील तालेडा में कुल 11 किता की 7.4948 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि वादी एंव प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 के सुंयक्त खाते में दर्ज है। उक्त आराजी में वादी का 25/108 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान

के मध्य पूर्व में पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारा हो गया था जिसके तहत वादी के हिस्से में कृषि भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 1.4731 हैक्टर आई थी । उक्त पारिवारिक बंटवारा 10 वर्ष पूर्व हो गया था तब से ही वादी अपनी भूमि पर काबिज काश्त है । उक्त भूमि पर वादी ने सम्पूर्ण विकास कार्य किया । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 1.4731 से बेदखल करने पर आमादा है ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 1.4731 का खातेदार घोषित किया जावे तथा माप व सीमांकन के आधार पर विधिवत विभाजन कर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से दर्ज किया जावे एवं राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमया जावे कि वे वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल नहीं करें उक्त भूमि को रहन, बेचान नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2021 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 23.04.2021 के द्वारा पर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 23.04.2021 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 एवं 6 लागयत 7 अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जबकि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को प्रोपर नोटिस तामील नहीं करवाये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 23.04.2021 निरस्त फरमाये जावें ।

7. अपीलान्टगण ने दोनों अपीलों में धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । उसके बाद दिनांक 23.04.2021 को अंतिम डिक्री पारित की गई जिसकी अपीलान्टगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.04.2021 को तहसील तालेडा में अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कृषि ऋण व पंजीयन करवाने हेतु जानकारी करने पर तहसील कार्यालय में हुई जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त की गई और उसके बाद कोराना महामारी के कारण लॉक डाउन हो गया आवागमन के साधन बन्द हो गये । इसलिए उक्त दोनों अपीलें समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके । अतः दोनों अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने इस प्रकरण में दिनांक 29.01.2021 को प्रारम्भिक डिक्री और दिनांक 23.04.2021 को अंतिम डिक्री जारी की है । परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.12.2020 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही गई और एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए दावा वादी स्वीकार किया है । सम्मन की विधिवत तामील नहीं करवायी है । अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय में पेश किये गये दावे की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 23.04.2021 निरस्त फरमाये जावें ।

10. दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट की तामील करवायी थी । यदि अपीलान्ट को अपने खिलाफ पारित निर्णय को अपास्त करवाना था तो परीक्षण न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया है । तहसीलदार के द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस की फोटो प्रति पेश की गई है । विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार ने स्वयं मौके पर उपस्थित होकर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तैयार की गई है जो विधि सम्मत है । अपीलान्ट ने प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री दोनों की अपीलें एक साथ पेश की हैं जो मेन्टेनेबल नहीं हैं । पहले उन्हें प्रारम्भिक डिक्री की अपील करनी चाहिए । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 23.04.2021 बहाल रखे जावें ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

12. उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में तहसीलदार तालेडा के द्वारा गजानन्द को दिनांक 16.02.2021 को जारी नोटिस की प्रति दिनांक 03.03.2021 को जारी नोटिस की फोटो प्रति तहसीलदार के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को दिनांक 25.03.2021 को जारी पत्र की फोटो प्रति और विभाजन प्रस्ताव की फोटो प्रति पेश की गई है । उक्त दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियॉ नहीं है वरन् फोटो प्रतियॉ है जो अपील की स्टेज पर साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं हैं । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किया जाता है ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है

14. परीक्षण न्यायालय में वादी जगदीश के द्वारा एक दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है । दिनांक 26.11.2020 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है । प्रतिवादीगण को जो सम्मन जारी हुए हैं उनकी प्रति पत्रावली पर संलग्न हैं जिनका अवलोकन किया गया । प्रतिवादी फूलचन्द, गजानन्द, महावीर, छोटू, टीकमचन्द, त्रिलोक और चतुर्भुज के सम्मन के पृष्ठ भाग पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं न ही यह अंकित किया गया है कि प्राप्तकर्ता नहीं मिले इसलिए खुले मकान पर चस्पा किया गया । तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर के साथ–साथ दोनों गवाहों के हस्ताक्षर हैं परन्तु प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही यह अंकित किया गया है कि प्राप्तकर्ता नहीं मिले, इस कारण मकान पर चस्पा किया । दिनांक 26.04.2021 को छोटूलाल के द्वारा आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत परीक्षण न्यायालय में पेश किया गया है परन्तु उस पर कोई निर्णय परीक्षण न्यायालय ने पारित नहीं किया है जबकि इसके उपरान्त दिनांक 29.04.2021 को निर्णय व डिक्री में संशोधन किया गया है । हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के खिलाफ एक साथ अपील पेश नहीं की जा सकती । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं उसके आधार पर अंतिम डिक्री दोनों ही निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 23.04.2021 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर तनकियात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी करें और राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 30.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/8/2021

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा